प्रेस नोट **जनपद रामपुर** **दिनांक 16-09-2021**

twitter-@rampurpolice **FB-रामपुर पुलिस** **Telegram-@rampurpolice**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही-

थाना गंज :–35 ग्राम मैथाडॉन पाउडर, एक डिजिटल तराजू व 3500 रुपये नकद के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर, श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16–09–2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान नासिर पुत्र सफदर खान निवासी मोहल्ला बगीचा छोटे मियां थाना गंज, रामपुर हाल पता–मंसूरी मंजिल सी 4–12 नवपाड़ा रोड बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट को मौहल्ला बगीचा छोटे मियां से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 35 ग्राम मैथाडॉन पाउडर, एक डिजिटल तराजू व 3500 रुपये नकद बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना गंज पर मु0अ0सं0–329/21 धारा 8/22(क) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन :–चोरी की 02 मोटर साइकिलों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर, श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16–09–2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर पसियापुरा स्थित अभियुक्त फहीम पुत्र नईम निवासी बाजार टंकी के पास अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर की मोटर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान से 02 चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

फहीम पुत्र नईम निवासी बाजार टंकी के पास अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर।

बरामदगी–

01– फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्रो।

02– फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक मोटर साइकिल हीरो पेशन।

पूछताछ–

गिरफ्तार अभियुक्त फहीम द्वारा पूछताछ में बताया गया कि स्पलेण्डर प्रो मोटर साइकिल मैंने एक–डेढ वर्ष पहले रूद्रपुर से तथा हीरो पेशन मोटर साइकिल को करीब एक वर्ष पहले बरेली से चोरी किया था। मैंने काफी दिन से दोनों मोटर साइकिल बेचने की फिराक में दुकान में खडी कर रखी थीं, कि आपने आज मुझे पकड लिया।

कार्यवाही–

मु0अ0सं0–307 / 21 धारा 411,420,413 भादवि व 41 / 102 सीआरपीसी।

थाना बिलासपुर–हत्या का आरोपी आलाकत्ल चाकू के साथ गिरफ्तार–

दिनांक 15–09–21 को लक्ष्मण प्रजापति पुत्र दुर्गा प्रसाद प्रजापति निवासी धावनी हसनपुर थाना बिलासपुर, रामपुर बिलासपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धावनी के पास बने यात्री शैड में बैठा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर परमजीत सिंह उर्फ बाबू पुत्र सुखविन्दर सिंह उर्फ सूखा सिंह नि0 ग्राम तोडरापुर मझरा पिपराधूरी थाना हरगांव जनपद सीतापुर की आपस में कुछ कहा सुनी हो गयी थी। इसी दौरान परमजीत सिंह उर्फ बाबू ने लक्ष्मण प्रजापति पर चाकू से वारकर हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0–352/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 16–09–2021 को थाना बिलासपुर पुलिस द्वारा परमजीत सिंह उर्फ बाबू को केमरी तिराहा के पास कस्बा बिलासपुर से आलाकत्ल चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

परमजीत सिंह उर्फ बाबू पुत्र सुखविन्दर सिंह उर्फ सूखा सिंह नि0 ग्राम तोडरापुर मझरा पिपराधूरी थाना हरगांव जनपद सीतापुर।

मृतक का नाम–

लक्ष्मण प्रजापति पुत्र दुर्गा प्रसाद प्रजापति निवासी धावनी हसनपुर थाना बिलासपुर, रामपुर।

बरामदगी–

आलाकत्ल चाकू बरामद।

कार्यवाही–

मु0अ0सं0–352/21 धारा 302 भादवि।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

01–व0उ0नि0/थाना प्रभारी श्री लखपत सिंह,

02–उ0नि0 श्री दिलीप कुमार,

03–हे0का0 347 आदिल अहमद खाँ,

04–का0 1009 निखिल कुमार।

थाना टाण्डा :– आई.टी. एक्ट व दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार–

थाना स्वार क्षेत्र की रहने वाली एक 22 वर्षीय लडकी द्वारा थाना स्वार, रामपुर पर सूचना दी थी कि शाहरूख पुत्र अहमद हसन निवासी ग्राम अलीनगर जागीर थाना स्वार, रामपुर तथा मुरसद पुत्र फरजन्द निवासी मुकर्रमपुर थाना स्वार, रामपुर दोनों अक्सर उसे परेशान किया करते थे। अभियुक्त शाहरूख द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी एवं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के सम्बंध में थाना स्वार, रामपुर पर मु0अ0सं0–445/21 धारा 376,384,506 भादवि व 66 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी टाण्डा द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 16–09–2021 को थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वॉछित चल रहे दोनों अभियुक्तगण को ग्राम अलीनगर जागीर हलपुरा तिराहा से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

01–शाहरूख पुत्र अहमद हसन निवासी ग्राम अलीनगर जागीर थाना स्वार, रामपुर।

02–मुरसद पुत्र फरजन्द निवासी मुकर्रमपुर थाना स्वार, रामपुर।

थाना स्वारः–दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार–

दिनांक 16–09–2021 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा मौहम्मद राशिद पुत्र मौहम्मद अहमद निवासी बिजारखाता थाना स्वार, रामपुर को मानपुर उत्तरी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 14–09–2021 को थाना स्वार, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–446/21 धारा 376 भादवि में वॉछित चल रहा था।

थाना मिलकखानम :–100 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार–

दिनांक 16–09–2021 को थाना मिलकखानम, रामपुर पुलिस द्वारा चरण सिंह व मलकीत सिंह पुत्रगण बुद्धा सिंह निवासीगण ग्राम बेवक्ता थाना मिलक, रामपुर को माचियागढ तिराहा से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 50–50 लीटर (कुल–100 लीटर) नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बंध में थाना मिलकखानम, रामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सैफनी :–छेडछाड में 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार–

विक्रम उर्फ कालू पुत्र होरीलाल तथा विजय पत्र सोमपाल निवासीगण ग्राम हिद्दन खां का मजरा थाना सैफ़नी, रामपुर द्वारा थाना सैफनी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के के घर में घुसकर उसके साथ छेडछाड करने के सम्बन्ध में दिनांक 15–09–2021 को थाना सैफनी पर मु0अ0सं0–29/2021 धारा 452,354 भादवि पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 16–09–2021 को थाना सैफनी पुलिस द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तगण को बस स्टैण्ड सैफनी से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।